मध्यप्रदेश शासन

जल संसाधन विभाग

वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल

कक्ष क्रमांक 409, चौथी मंजिल, जल संसाधन भवन
तुलसी नगर, भोपाल –462003
Tel. 0755-2557255
Email - cbmpbpl@gmail.com

पत्र क्र. वृ.प.नि.मं./31/तक/रा.स्त.–641/2016/ भोपाल, दिनांक /01/2018

प्रति,

मुख्य अभियंता,
नर्मदा ताप्ती कछार
जल संसाधन विभाग,
इन्दौर (म.प्र.)

विषय :– नगर परिषद अठाना, जिला नीमच को अठाना नगर की पेयजल योजना के लिये केनपुरिया (सुखानंद सागर डैम) से 0.255 मि.घ.मी. वार्षिक जल आवंटन के संबंध में। (प्रकरण क्रमांक– 641/256)

साधिकार समिति की 41वीं बैठक दिनांक 05.01.2018 के कार्यवाही विवरण की कंडिका 04 में लिए गए निर्णय के परिपेक्ष्य में नगर परिषद अठाना, जिला नीमच को अठाना नगर की पेयजल योजना के लिये केनपुरिया (सुखानंद सागर डैम) से 0.255 मि.घ.मी. वार्षिक जल का आवंटन निम्न शर्तो पर प्रदान किया जाता है :–

1. पेयजल योजना हेतु नगर परिषद अठाना, जिला नीमच को केनपुरिया (सुखानंद सागर डैम) की नहर से जल प्रदाय नहीं किया जावेगा। अपितु नगर परिषद अठाना को सुखानंद सागर डैम से पानी लेने हेतु स्वयं के व्यय पर जलाशय में इन्टेक वेल बनाना होगा।
2. सुखानंद सागर डैम से 0.255 मि.घ.मी. वार्षिक जल प्राप्त करने के पूर्व नगर परिषद अठाना के प्राधिकृत अधिकारी को निर्धारित प्रारूप 7 (क) में कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच के साथ अनुबंध करना होगा।
3. आवंटित जल की मात्रा 0.255 मि.घ.मी. वार्षिक के लिये नगर परिषद, अठाना को शासन द्वारा समय–समय पर लागू की गई जल दर अनुसार जल कर का नियमित भुगतान समय पर कार्यपालन यंत्री, नीमच को करना होगा। जल कर का भुगतान अनुबंध की तिथि से प्रभावशील होगा।
4. सुखानंद सागर डैम से जल के उदवहन हेतु आवश्यक सिविल एंव यांत्रिकीय कार्यो का निर्माण नगर परिषद अठाना अपने स्वयं के व्यय पर करेगी। ऐसे सिविल यांत्रिकीय कार्यो के रूपांकन एंव ड्रांइग का निर्माण पूर्व अनुमोदन जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. जल आपूर्ति की अनुमति जिस उद्देश्य के लिये दी जा रही है, उसमें परिर्वतन नहीं किया जायेगा। नगर परिषद अठाना द्वारा अन्य उद्देश्य के लिये जल का उपयोग किये/पाये जाने पर आवंटन/स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
6. नगर परिषद अठाना को उक्त जल स्त्रोत से लिये गये जल के नापने के लिये स्वचलित उपकरण का अनुमोदन संबंधित कार्यपालम यंत्री, नीमच से प्राप्त कर स्थापन तथा अनुरक्षण स्वयं के व्यय पर करना होगा।

7. पेयजल योजना के लिये मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं करेगा।

(भरत गोसावी)
मुख्य अभियंता बोधी एवं
सदस्य सचिव, साधिकार समिति,
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

पृ पत्र क्र. वृ.प.नि.मं. / 31 / तक / रा.स्त.–641 / 2016 / 48 भोपाल, दिनांक 18 / 01 / 2018

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, म.प्र. भोपाल
4. प्रमुख अभियंता, म.प्र. अर्बन डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड, प्लॉट नं. 8, प्रथम तल, म.प्र. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक, सेन्ट्रल बैंक के पास, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
5. कलेक्टर, जिला नीमच म.प्र.
   की ओर कृपया सूचनार्थ।
6. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, उज्जैन
7. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच
8. की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके पत्र क्र. 2060 / कार्य–38 / पेयजल / 2016 दिनांक 13.07.2016 द्वारा केनपुरिया (सुखानंद सागर डैम) में अठाना नगर की पेयजल योजना के लिये वांछित 0.255 मि.घ.मी. वार्षिक जल उपलब्ध न होने का लेख कर स्थानीय नाले, जिसमें जल की आवक 2.15 मि.घ.मी. है, से नगर परिषद अठाना को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। साधिकार समिति की 41वीं बैठक दिनांक 05.01.2018 में निर्णय लिया गया है कि नगर परिषद अठाना को केनपुरिया (सुखानंद सागर डैम) से 0.255 मि.घ.मी. वार्षिक जल उपलब्ध कराया जावे तथा सुखानंद सागर डैम के कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल संसाधन विभाग उक्त स्थानीय नाले पर अपनी आवश्यकता अनुसार जल भण्डारण हेतु बैराज का निर्माण करे। कृपया समिति के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे।
9. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, अठाना जिला नीमच की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. वेब मेनेजर,कार्यालय परियोजना संचालक, पाइकू, कक्ष क. 209, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.3, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(भरत गोसावी)
मुख्य अभियंता बोधी एवं
सदस्य सचिव, साधिकार समिति,
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग